Academe *Journal of Education & Psychology* *ISSN: 2249-040X*
Volume-16, Issue-2, Year-2026 (July-December) *Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)*
PP: 270-282 *Journal Website:* www.academejournal.in

प्राथमिक शिक्षा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन: भारत सरकार की पहल के सन्दर्भ में

मोहित कुमार

शोध छात्र, कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

डॉ. अरुण कुमार

शोध पर्यवेक्षक, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल की प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किया गया है। अध्ययन सरकारी दिशानिर्देशों, संसदीय प्रतिवेदनों, वित्तीय विवरणों तथा विद्यालयी शिक्षा के प्रकाशित प्रशासनिक आँकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक स्तर की सीमा कक्षा 1–5 रखी गई है; कक्षा 5 से 6 में प्रवेश को प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता के सूचक के रूप में लिया गया है। दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि योजना सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, विभागीय समन्वय और बालिकाओं की शैक्षिक भागीदारी को परस्पर जोड़ती है। 2019 के दिशानिर्देशों में बालिकाओं के पूर्ण संक्रमण पर प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान तथा विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं के पुनः प्रवेश का प्रावधान मिलता है। समग्र शिक्षा पोर्टल की प्राथमिक श्रेणी में मेरठ मण्डल के 6 जनपदों के 2885 विद्यालय दर्ज हैं। जनपदों में योजना का ऐतिहासिक विस्तार, वित्तीय प्रवाह और विद्यालयों का संख्यात्मक वितरण अलग-अलग रहा है। राज्यस्तरीय शिक्षा-सूचक बालिकाओं की भागीदारी के साथ प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता और आगे प्रवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाते हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि योजना की प्राथमिक शैक्षिक उपयोगिता उसके संदेश को नियमित विद्यालयीय प्रक्रियाओं और शिक्षा-विभाग की सेवाओं से जोड़ने में निहित है। क्षेत्रीय प्रभाव के मूल्यांकन में शिक्षा-विशिष्ट व्यय, उपस्थिति, पुनः प्रवेश और शैक्षिक निरंतरता के संबद्ध अभिलेख निर्णायक महत्त्व रखते हैं।

प्रमुख शब्द: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिका शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, मेरठ मण्डल, विभागीय समन्वय, द्वितीयक आँकड़े, शैक्षिक निरंतरता।

© Copyright @ Authors

प्रस्तावना

बालिका शिक्षा का प्रश्न विद्यालय में प्रवेश के साथ उस सामाजिक और संस्थागत परिवेश से जुड़ा है जिसमें परिवार उसकी पढ़ाई का निर्णय करता है और विद्यालय उसे आगे बढ़ने के अवसर देता है। इसी व्यापक संदर्भ में भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आरंभ किया। उद्घाटन के समय पुत्रों और पुत्रियों के प्रति भेदभाव तथा बेटियों की शिक्षा के प्रति संकोच को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया गया था (प्रधानमंत्री कार्यालय, 2015) [1]। इस पहल में बालिका के जीवन और उसकी शिक्षा को एक निरंतर प्रक्रिया के अंग के रूप में देखा गया।

योजना के उद्देश्य लिंग-आधारित चयन की रोकथाम, बालिका के जीवन और संरक्षण तथा उसकी शिक्षा एवं सहभागिता से संबंधित हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2019) [2]। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्त्व उस संबंध में है जो सामाजिक स्वीकृति और विद्यालयीय अवसरों के बीच बनता है। परिवार की सकारात्मक इच्छा तभी नियमित पढ़ाई में बदलती है जब प्रवेश, शिक्षण, सुविधाओं और आगे की कक्षाओं में जाने की व्यवस्था साथ उपलब्ध हो। इसलिए योजना का शैक्षिक विश्लेषण उसके प्रचार-संदेश से आगे बढ़कर विद्यालय और प्रशासन की कार्य-प्रक्रियाओं तक जाता है।

2022 में जारी मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को संबल उपयोजना में रखा गया और बहुक्षेत्रीय क्रियान्वयन सभी जनपदों तक विस्तारित किया गया। इसमें व्यक्तिगत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अथवा पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण का प्रावधान नहीं है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022) [3]। फलतः प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में इसकी भूमिका जनसंपर्क, समन्वय और बालिका-केंद्रित प्रशासनिक प्राथमिकताओं के माध्यम से समझी जाती है। विद्यालय की सामग्री और सुविधाओं से जुड़े परिणामों की व्याख्या करते समय संबंधित शिक्षा-कार्यक्रमों के योगदान का भी स्थान बनता है। अध्ययन का क्षेत्र मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित मेरठ मण्डल के 6 जनपद हैं (मण्डलीय प्रशासन, मेरठ) [4]। विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है। कक्षा 5 से 6 में प्रवेश का समावेश इसलिए किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता का व्यावहारिक अर्थ आगे की पढ़ाई से जुड़ता है।

शोध कथन

प्रस्तुत अध्ययन का शोध कथन है की **"प्राथमिक शिक्षा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन: भारत सरकार की पहल के सन्दर्भ में"** मेरठ मण्डल के प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा से किस प्रकार संबंधित होती है और सरकारी द्वितीयक स्रोत इस संबंध के बारे में क्या स्पष्ट करते हैं। इसके अंतर्गत नीति में निर्धारित प्रावधानों, जनपदीय क्रियान्वयन

© Copyright @ Authors

तथा शिक्षा-सूचकों के बीच संगति की जाँच की गई है। विशेष ध्यान इस बात पर है कि योजना की गतिविधियों को विद्यालय में प्रवेश, पढ़ाई की निरंतरता और प्राथमिक स्तर की पूर्णता से जोड़ने के लिए प्रशासनिक अभिलेख कितना आधार प्रदान करते हैं।

शोध उद्देश्य

1. योजना के उद्देश्यों और दिशानिर्देशों में प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण करना।
2. मेरठ मण्डल में योजना के विस्तार, विद्यालयीय संदर्भ और वित्तीय क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
3. प्राथमिक शिक्षा के प्रकाशित सूचकों के आधार पर बालिकाओं की भागीदारी और निरंतरता के प्रश्नों को समझना।
4. योजना के शैक्षिक मूल्यांकन में विभागीय समन्वय और अभिलेखीय व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट करना।

शोध अवधारणाएँ

अध्ययन में योजना को सामाजिक व्यवहार और सार्वजनिक सेवाओं के बीच संबंध स्थापित करने वाली पहल माना गया है। इस विश्लेषण की आधारभूत अवधारणा है कि बालिका शिक्षा के पक्ष में सामाजिक स्वीकृति, विद्यालय तक पहुँच और विद्यालय में टिके रहने की परिस्थितियाँ परस्पर संबंधित हैं। इनके बीच संबंध का अध्ययन करते हुए नीति-प्रावधान, किए गए व्यय और शैक्षिक परिणामों को अलग अर्थों में ग्रहण किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों की प्रकृति के अनुरूप अध्ययन वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है।

शोध समीक्षा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2019 के दिशानिर्देश बालिका शिक्षा को स्थानीय कार्ययोजना, विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षा अधिकारियों की भूमिका से जोड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पुनः प्रवेश तथा अगली कक्षा में निरंतरता को इनमें स्थान मिला है [2]। इन प्रावधानों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि योजना की शैक्षिक अवधारणा में परिवार तक संदेश पहुँचाने और विद्यालयीय कार्रवाई के बीच संबंध अपेक्षित है।

महिला सशक्तीकरण संबंधी संसदीय समिति (2021) [5] ने शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तीकरण पर अपने 5वें प्रतिवेदन में योजना के व्यय और निगरानी की समीक्षा की। समिति ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों पर पृथक व्यय का विवरण प्राप्त न होने को रेखांकित किया। यह टिप्पणी योजना के

© Copyright @ Authors

मूल्यांकन के लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समग्र व्यय से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी बालिका की पढ़ाई में आने वाली बाधाओं पर कितना कार्य हुआ। शिक्षा-विशिष्ट वित्तीय विवरण और विद्यालयीय परिणामों के बीच संबंध इस समीक्षा का प्रमुख प्रश्न बनता है।

शिक्षा मंत्रालय (2025) [6] के समग्र शिक्षा संबंधी संसदीय उत्तर में प्रारंभिक शिक्षा, अर्थात् कक्षा 1–8, के लिए पात्र बच्चों को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री तथा विद्यालय से बाहर बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण का उल्लेख है। ये व्यवस्थाएँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के जनसंपर्क को ठोस शैक्षिक सेवाओं से जोड़ने का संस्थागत आधार प्रदान करती हैं। यहाँ दोनों योजनाओं का संबंध सहयोग का है; सेवा प्रदान करने वाले कार्यक्रम और समुदाय को उससे जोड़ने वाली गतिविधि के योगदान को अलग पहचानना उपयोगी है।

यू-डायस 2024–25 का प्रतिवेदन नामांकन, प्रतिधारण और कक्षाओं के बीच संक्रमण के पृथक सूचक देता है। इसमें कक्षा 1–5 की श्रेणी स्पष्ट है और पुराने वर्षों से तुलना में आँकड़ा-संग्रह पद्धति के बदलाव का भी उल्लेख किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2025) [7]। इस प्रतिवेदन का उपयोग प्राथमिक बालिका शिक्षा का राज्यस्तरीय संदर्भ समझने के लिए किया गया है। नीति-दस्तावेज और शिक्षा-सांख्यिकी को साथ पढ़ने पर योजना के उद्देश्य और उनके परीक्षण के लिए आवश्यक परिणाम-सूचकों का भेद स्पष्ट होता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (2020) [8] ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का मूल्यांकन किया। इसमें 14 राज्यों के 17 जनपदों के 816 परिवारों तथा विभिन्न स्थानीय हितधारकों से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया। अध्ययन में अभियान के प्रति सामान्य जागरूकता पाई गई, यद्यपि योजना के उद्देश्यों की समझ में राज्यों के बीच पर्याप्त अंतर था। सुरक्षित आवागमन की कठिनाइयाँ, छोटे भाई-बहनों की देखभाल और घरेलू कार्यों का बोझ बालिकाओं की पढ़ाई में बाधाओं के रूप में सामने आया। ये निष्कर्ष परिवार तक योजना का संदेश पहुँचाने के साथ उन परिस्थितियों पर कार्य करने का महत्त्व स्पष्ट करते हैं, जो बालिकाओं की नियमित विद्यालयीय सहभागिता को प्रभावित करती हैं।

मुखोपाध्याय एवं सहयोगियों (2024) [9] ने राष्ट्रीय स्तर के अनेक बड़े सर्वेक्षणों के आधार पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के शैक्षिक प्रभाव का अध्ययन किया। उनके विश्लेषण में बालिकाओं के नामांकन, कक्षा-पूर्णता तथा उन पर होने वाले शैक्षिक व्यय पर योजना का सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभाव नहीं मिला। अधिगम संबंधी परिणामों पर भी प्रभाव सीमित रहा। अध्ययन में शिक्षकों और अभिभावकों से प्राप्त गुणात्मक जानकारी को भी सम्मिलित किया गया। इन निष्कर्षों से जागरूकता-अभियान की पहुँच और वास्तविक शैक्षिक प्रगति के बीच अंतर स्पष्ट होता है। योजना के मूल्यांकन में

© Copyright @ Authors

प्रचार की व्यापकता के साथ नामांकन, पढ़ाई की निरंतरता और अधिगम के स्वतंत्र सूचकों का परीक्षण आवश्यक है।

विद्यालयीय सुविधाओं के संदर्भ में अडुकिया (2017) [10] ने भारत में विद्यालय शौचालय निर्माण की पहल और विद्यालय-स्तरीय प्रशासनिक आँकड़ों का विश्लेषण किया। अध्ययन में शौचालय की उपलब्धता से कम आयु की बालिकाओं और बालकों के नामांकन को लाभ मिला, जबकि किशोरावस्था की बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय अधिक महत्त्वपूर्ण पाए गए। हालाँकि शौचालय निर्माण के बाद परीक्षा-प्राप्तांकों में वृद्धि नहीं मिली। इससे विद्यालय तक पहुँच और सीखने की उपलब्धि के बीच भेद सामने आता है। प्राथमिक बालिका शिक्षा के संदर्भ में सुविधाओं का विकास सहभागिता को सहारा दे सकता है, जबकि अधिगम में प्रगति के लिए शिक्षण और शैक्षिक सहयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

मुरलीधरन एवं शेठ (2016) [11] ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 5 वर्षों के आँकड़ों के आधार पर अधिगम में लैंगिक अंतर और महिला शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन किया। महिला शिक्षकों से पढ़ने वाली बालिकाओं के अधिगम-प्रदर्शन में तुलनात्मक सुधार पाया गया, जबकि बालकों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं मिला। अध्ययन के निष्कर्ष बालिका शिक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली कक्षागत अंतःक्रिया के महत्त्व की ओर संकेत करते हैं।

साकी एवं सहयोगियों (2022) [12] ने निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में बालिकाओं की विद्यालयीय सहभागिता और अधिगम से संबंधित 82 प्रायोगिक तथा अर्धप्रायोगिक अध्ययनों की व्यवस्थित समीक्षा की। आर्थिक बाधाएँ कम करने, पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने और शैक्षिक सहयोग देने वाले हस्तक्षेपों के पक्ष में प्रभावी प्रमाण मिले। विद्यालय तक पहुँच, अध्ययन-सामग्री तथा जल और स्वच्छता की सुविधाओं से जुड़े प्रयास भी आशाजनक पाए गए।

शोध विधि

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित दस्तावेजीय विश्लेषण है। इसमें 2015–2025 की अवधि के प्रमुख सरकारी दस्तावेजों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया। चयन में स्रोत की आधिकारिक स्थिति, प्राथमिक शिक्षा से संबद्धता, आँकड़ों की परिभाषा तथा जनपद और संदर्भ-वर्ष की स्पष्टता को आधार बनाया गया। दस्तावेजों को उद्देश्य, दायित्व, वित्तीय प्रावधान, निगरानी और शैक्षिक परिणाम के आधार पर पढ़ा गया। विद्यालय-संख्या और वित्तीय मदों के योग मूल प्रविष्टियों से निकाले गए।

प्राथमिक विद्यालयों का जनपदवार संदर्भ समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर प्रदर्शित यू-डायस 2023–24 की प्राथमिक श्रेणी से लिया गया है (राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश) [13]। इस श्रेणी में संविलियन और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अलग प्रविष्टियाँ शामिल नहीं की गईं।

© Copyright @ Authors

पोर्टल प्रबंधन-वार आवरण स्पष्ट नहीं करता, इसलिए इसका योग सभी प्रबंधनों के विद्यालयों की संपूर्ण गणना के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। वित्तीय आँकड़ों का विश्लेषण योजना-स्तर पर और शिक्षा-सूचकों का विश्लेषण उनके प्रकाशित भौगोलिक स्तर पर किया गया है।

शोध स्रोत

अध्ययन के स्रोतों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्रियान्वयन दिशानिर्देश और संचालन पुस्तिका, संसद में प्रस्तुत उत्तर, महिला सशक्तीकरण संबंधी समिति का प्रतिवेदन, शिक्षा मंत्रालय का यू-डायस प्रतिवेदन तथा समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश का जनपदवार विवरण सम्मिलित हैं। योजना के आरंभ की पुष्टि समकालीन सरकारी विज्ञप्ति से और अध्ययन-क्षेत्र की पहचान मण्डलीय प्रशासन के विवरण से की गई है। इनमें नीति की घोषणा, निर्धारित वित्तीय व्यवस्था, दर्ज व्यय और शिक्षा की स्थिति से संबंधित सूचनाएँ अलग-अलग स्तरों पर उपलब्ध होती हैं।

शोध विवेचना

प्राथमिक शिक्षा से योजना का संबंध

2019 के दिशानिर्देशों में कक्षा 5 से 6 में सभी बालिकाओं के प्रवेश का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्राथमिक विद्यालय के लिए 10000 रुपये के अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। उसी दस्तावेज की निगरानी-सारणी में विद्यालय छोड़ चुकी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के पुनः प्रवेश तथा संबंधित अभियानों का उल्लेख मिलता है [2]। ये प्रावधान विद्यालय में पहले प्रवेश के बाद भी पढ़ाई की निरंतरता को योजना के दायरे में रखते हैं। यह ऐतिहासिक नीतिगत व्यवस्था है; इससे किसी जनपद में अनुदान के वास्तविक भुगतान की पुष्टि अपने आप नहीं होती।

तालिका 1. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतिगत प्रावधान

आयाम	दस्तावेजी प्रावधान	प्राथमिक स्तर पर प्रासंगिकता
शैक्षिक निरंतरता	2019: बालिकाओं के 100% कक्षा 5–6 संक्रमण पर विद्यालय को 10000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान	प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखना
पुनः प्रवेश	2019: विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को पुनः प्रवेश दिलाने की गतिविधियाँ	विद्यालय से अलग हुई बालिकाओं तक पहुँचना

© Copyright @ Authors

विद्यालयीय परिवेश	2022: शिक्षा-विभाग से समन्वय में बालिका शौचालय और लैंगिक संवेदनशील शिक्षण	पढ़ाई और सहभागिता के अनुकूल परिस्थितियाँ

स्रोत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2019, परिशिष्ट 7, पृष्ठ 42 तथा निगरानी-सारणी, पृष्ठ 90; 2022, खंड 6.1, पृष्ठ 46 [2], [3]।

2022 के दिशानिर्देशों में नामांकन की वार्षिक वृद्धि का संख्यात्मक लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है [3]। प्राथमिक विद्यालयों के लिए योजना की प्रासंगिकता समझते समय कक्षा-विशिष्ट निरंतरता और विभागीय सहयोग अधिक उपयोगी आधार हैं। किसी परिवार तक बालिका शिक्षा का संदेश पहुँचने के बाद शिक्षक द्वारा प्रवेश में सहायता, अनुपस्थिति पर संपर्क और सीखने में सहयोग उस संदेश को विद्यालयीय अनुभव में बदल सकते हैं। यह संबंध कार्यक्रम की कार्य-प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक आधार है; इसकी स्थानीय सफलता संबंधित विद्यालय-अभिलेखों से जाँची जाती है।

मेरठ मण्डल का विद्यालयीय और प्रशासनिक संदर्भ

समग्र शिक्षा पोर्टल की प्राथमिक श्रेणी में छह जनपदों के 2885 विद्यालय दर्ज हैं। बुलंदशहर में 1080 और मेरठ में 631 विद्यालय हैं, जबकि गाजियाबाद में 248, गौतम बुद्ध नगर में 296 और हापुड़ में 297 विद्यालय दर्ज हैं। बागपत की संख्या 333 है [13]। ये संख्याएँ संबंधित प्रशासनिक श्रेणी में विद्यालयों के वितरण को व्यक्त करती हैं। इससे विद्यालयीय संपर्क के विस्तार का संदर्भ मिलता है।

योजना के पुराने क्रियान्वयन में भी सभी जनपदों की स्थिति एकसमान नहीं थी। 20 मार्च 2020 के लोकसभा उत्तर की बहुक्षेत्रीय क्रियान्वयन सूची में मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सम्मिलित हैं; हापुड़ उस सूची में नहीं है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2020) [14]। इस ऐतिहासिक अंतर का महत्त्व पूर्ववर्ती वित्तीय अभिलेखों को पढ़ने में है। पुराने दस्तावेज में किसी जिले की अनुपस्थिति को उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण मान लेने से योजना के चरणबद्ध विस्तार की उपेक्षा होती है।

तालिका 2. समग्र शिक्षा पोर्टल की प्राथमिक श्रेणी में दर्ज विद्यालय, 2023–24

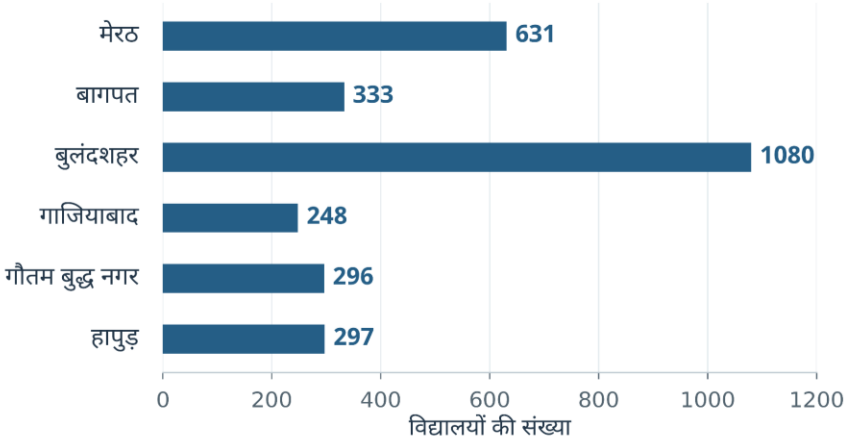
जनपद	विद्यालयों की संख्या
मेरठ	631
बागपत	333
बुलंदशहर	1080
गाजियाबाद	248

© Copyright @ Authors

गौतम बुद्ध नगर	296
हापुड़	297
योग	**2885**

स्रोत: समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, जनपदवार मानचित्र; प्रदर्शित स्रोत यू-डायस 2023–24 [13]।

2022 की संचालन पुस्तिका के आवंटन-परिशिष्ट में सभी छह जनपद शामिल हैं। निर्धारित वार्षिक राशि मेरठ और बुलंदशहर के लिए 20–20 लाख, बागपत और गाजियाबाद के लिए 30–30 लाख तथा गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ के लिए 40–40 लाख रुपये है। यह वर्गीकरण 2020–21 के जन्म के समय लिंगानुपात पर आधारित है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022) [15]। ये आवंटन-मानक हैं, वास्तविक वितरण के आँकड़े नहीं। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से इनके साथ विद्यालयों का विस्तार, नामांकन और पढ़ाई में बाधाओं की स्थिति जोड़ना स्थानीय कार्ययोजना को अधिक प्रासंगिक बना सकता है।



स्रोत: समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश पोर्टल; यू-डायस 2023–24।

ग्राफ 1. समग्र शिक्षा पोर्टल की प्राथमिक श्रेणी में मेरठ मण्डल के विद्यालयों का जनपदवार वितरण।

वित्तीय क्रियान्वयन और शिक्षा-विशिष्ट उत्तरदायित्व

9 फरवरी 2024 के लोकसभा उत्तर में योजना की जनपदवार जारी और उपयोग की गई धनराशि दी गई है। वर्ष 2019–20 में मेरठ मण्डल के पाँच सूचीबद्ध जनपदों के लिए जारी राशि का योग 29.84 लाख और उपयोग की गई राशि का योग 70.42 लाख रुपये है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2024) [16]। इन प्रविष्टियों को पढ़ते समय चालू वर्ष की जारी राशि और उस वर्ष व्यय के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों का भेद आवश्यक है। पूर्व शेष और अन्य समायोजनों का पूरा विवरण दिए बिना उपयोग को उसी वर्ष जारी राशि से भाग देकर कार्यकुशलता का अनुपात निकालना उपयुक्त नहीं है।

© Copyright @ Authors

तालिका 3. योजना के अंतर्गत जनपदवार वित्तीय प्रविष्टियाँ, 2019–20

जनपद	जारी राशि	उपयोग की गई राशि
मेरठ	1.92	12.32
बागपत	0.00	24.25
बुलंदशहर	16.08	12.77
गाजियाबाद	4.44	12.81
गौतम बुद्ध नगर	7.40	8.27
हापुड़	प्रविष्टि नहीं	प्रविष्टि नहीं
पाँच सूचीबद्ध जनपदों का योग	**29.84**	**70.42**

स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1306, 9 फरवरी 2024, अनुलग्नक का खंड 2, पृष्ठ 29, 37–38 [16]। इकाई: लाख रुपये। ये योजना-स्तरीय वित्तीय आँकड़े हैं; प्राथमिक विद्यालयों पर पृथक व्यय नहीं।

राष्ट्रीय स्तर पर संसदीय समिति ने 2016–2019 की अवधि में जारी 446.72 करोड़ रुपये के संदर्भ में 78.91% राशि मीडिया गतिविधियों पर व्यय होने का उल्लेख किया था [5]। जुलाई 2022 के सरकारी उत्तर में 2014–15 से 2021–22 तक योजना के अंतर्गत मंत्रालय का कुल व्यय 740.18 करोड़ और मंत्रालय स्तर पर मीडिया/प्रचार व्यय 401.04 करोड़ रुपये बताया गया है (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2022) [17]। दोनों विवरणों की अवधि और गणना का आधार अलग है। इनसे उभरने वाला शैक्षिक प्रश्न यह है कि प्रचार, स्थानीय संपर्क और बालिकाओं की पढ़ाई में प्रत्यक्ष सहयोग के व्यय को किस तरह स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए।

प्राथमिक स्तर पर उत्तरदायित्व का अर्थ केवल कार्यक्रम आयोजित होने की सूचना से पूरा नहीं होता। विद्यालय से बाहर बालिकाओं तक पहुँच, पुनः प्रवेश के बाद उनकी उपस्थिति और कक्षा 5 के बाद पढ़ाई जारी रहने के अभिलेख गतिविधि के शैक्षिक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। शिक्षा-विभाग और योजना के जिला अधिकारियों के बीच ऐसी सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान वित्तीय विवरण को विद्यालयीय कार्य से जोड़ सकता है। इससे अलग-अलग विभागों द्वारा किए गए कार्य का योगदान भी अधिक स्पष्ट दिखाई देगा।

प्राथमिक बालिका शिक्षा के सूचक और उनकी व्याख्या

यू-डायस 2024–25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 83.9% है, जबकि राष्ट्रीय मान 92.3% है। प्राथमिक प्रतिधारण दर क्रमशः 86.9% और

© Copyright @ Authors

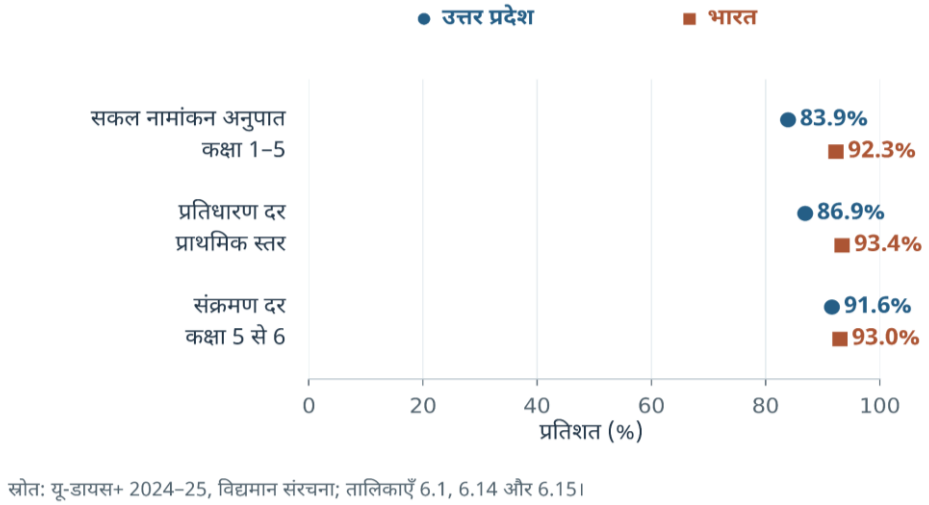
ISSN: 2249-040X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)
Journal Website: www.academejournal.in

93.4% तथा कक्षा 5 से 6 में संक्रमण दर 91.6% और 93.0% है [7]। इन तीन सूचकों में अंतर यह दर्शाता है कि नामांकन, प्राथमिक स्तर पूरा करने तक बने रहना और अगली शैक्षिक अवस्था में जाना अलग प्रक्रियाएँ हैं।

तालिका 4. प्राथमिक बालिका शिक्षा का राज्य और राष्ट्रीय संदर्भ, 2024–25

बालिकाओं का सूचक	उत्तर प्रदेश	भारत
सकल नामांकन अनुपात, कक्षा 1–5	83.9	92.3
प्रतिधारण दर, प्राथमिक स्तर	86.9	93.4
संक्रमण दर, कक्षा 5 से 6	91.6	93.0

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय, यू-डायस 2024–25, विद्यमान संरचना, तालिका 6.1, 6.14 और 6.15; पृष्ठ 108, 121–122 [7]। सभी मान प्रतिशत में हैं।



ग्राफ 2. उत्तर प्रदेश और भारत में बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा-सूचक, 2024–25।

नामांकन की लैंगिक समानता और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को भी अलग पढ़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में बालकों का प्राथमिक सकल नामांकन अनुपात 82.3% और बालिकाओं का 83.9% है [7]। बालिकाओं का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि प्रत्येक बालिका विद्यालय में है। इसी प्रकार कुल नामांकन में बालिकाओं का प्रतिशत, आयु-समूह पर आधारित नामांकन अनुपात से अलग माप है। प्राथमिक शिक्षा का विश्लेषण तभी अधिक स्पष्ट होता है जब प्रत्येक सूचक की जनसंख्या, कक्षा-सीमा और संदर्भ-वर्ष को ध्यान में रखा जाए।

© Copyright @ Authors

समन्वय की शैक्षिक उपयोगिता और अध्ययन की सीमाएँ

योजना के जनसंपर्क और समग्र शिक्षा की सेवाओं का संबंध प्राथमिक विद्यालय में व्यावहारिक रूप ले सकता है। परिवार से संपर्क के दौरान सामने आई पाठ्यपुस्तक, प्रवेश अथवा सीखने में सहायता की आवश्यकता संबंधित शैक्षिक व्यवस्था तक पहुँचाई जा सकती है। पात्र बच्चों की वर्दी, पाठ्यसामग्री और विद्यालय से बाहर बच्चों के विशेष प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ इस प्रक्रिया को आधार देती हैं [6]। इससे बालिका शिक्षा का सार्वजनिक संदेश परिवार के निर्णय और विद्यालय की जिम्मेदारी के बीच लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनता है।

प्राथमिक शिक्षा में निरंतरता का शैक्षिक अर्थ सीखने के अवसरों से भी जुड़ता है। नियमित उपस्थिति के बावजूद किसी बालिका को पाठ समझने, प्रश्न पूछने अथवा गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक का सहयोग और कक्षा का सम्मानजनक वातावरण परिवार के प्रारंभिक निर्णय को टिकाऊ बना सकते हैं। इसलिए योजना के स्थानीय मूल्यांकन में प्रशासनिक संपर्क और विद्यालयीय सहयोग का संबंध महत्त्वपूर्ण है। पढ़ाई में बनी रहने वाली बालिका के अनुभव को समझने से प्रवेश के बाद की बाधाओं की पहचान होती है और विभागीय समन्वय का उद्देश्य अधिक ठोस रूप ग्रहण करता है।

मेरठ मण्डल के लिए इस संबंध का महत्त्व जनपद और विद्यालय की अलग परिस्थितियों को कार्ययोजना में स्थान देने में है। एक समान अभियान-संख्या की तुलना में संपर्क के बाद विद्यालय से जुड़ी बालिकाओं की शैक्षिक निरंतरता अधिक उपयोगी मूल्यांकन-आधार हो सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक और संबंधित विभागों के अभिलेख साथ पढ़े जाने पर प्रवेश से आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

अध्ययन की सीमा विभिन्न स्रोतों के अलग समय, भौगोलिक स्तर और प्रशासनिक आवरण से संबंधित है। जनपदीय वित्तीय विवरण में प्राथमिक शिक्षा का पृथक व्यय उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रयुक्त शिक्षा-सूचक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के हैं। पोर्टल की विद्यालय-श्रेणी भी स्थानीय संस्थागत संदर्भ देती है। इसलिए प्रस्तुत विश्लेषण योजना की संरचना और दस्तावेजीकृत क्रियान्वयन की व्याख्या करता है। अन्य शिक्षा-कार्यक्रमों और सामाजिक परिवर्तनों के प्रभाव को पृथक किए बिना प्राथमिक शिक्षा में आए बदलाव को अकेले इसी योजना का परिणाम नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के सरकारी दस्तावेज प्राथमिक बालिका शिक्षा के लिए पुनः प्रवेश, शैक्षिक निरंतरता और विभागीय समन्वय का स्पष्ट आधार प्रदान करते हैं। मेरठ मण्डल में विद्यालयों के वितरण और योजना के ऐतिहासिक विस्तार में अंतर जनपद-विशिष्ट कार्ययोजनाओं की आवश्यकता

© Copyright @ Authors

रेखांकित करते हैं। निर्धारित आवंटन, जारी राशि, वास्तविक उपयोग और प्राथमिक शिक्षा पर किए गए कार्य के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए परस्पर संबद्ध वित्तीय तथा विद्यालयीय अभिलेख आवश्यक हैं।

राज्यस्तरीय सूचक नामांकन के साथ प्राथमिक शिक्षा में बने रहने और कक्षा 6 तक पहुँचने के प्रश्न को महत्त्व देते हैं। इस संदर्भ में योजना की शैक्षिक उपयोगिता बालिकाओं के पक्ष में बने सामाजिक समर्थन को नियमित विद्यालयीय सहयोग से जोड़ने में है। मेरठ मण्डल में इसके परिणामों का अधिक स्पष्ट आकलन शिक्षा-विशिष्ट वित्तीय विवरण तथा प्रवेश, उपस्थिति, पुनः प्रवेश और संक्रमण के जनपदवार अभिलेखों से संभव होगा। ऐसी अभिलेखीय संगति योजना के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के वास्तविक शैक्षिक अनुभव से जोड़ती है।

संदर्भ सूची

1. प्रधानमंत्री कार्यालय. (2015). “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का संबोधन”. नई दिल्ली: पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 22 जनवरी.
2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2019). “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए क्रियान्वयन दिशानिर्देश”. नई दिल्ली: भारत सरकार, मई, पृष्ठ 6–8, 42 एवं 90.
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2022). “मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए समेकित योजना के क्रियान्वयन दिशानिर्देश”. नई दिल्ली: भारत सरकार, 14 जुलाई, खंड 2.1.3 एवं 6.1, पृष्ठ 14–15 एवं 46.
4. मण्डलीय प्रशासन. (2025). मेरठ. “प्रशासनिक संरचना”. मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार.
5. महिला सशक्तीकरण संबंधी समिति. (2021). “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण”. 5वाँ प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा. नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय, 9 दिसंबर, पृष्ठ 51–52.
6. शिक्षा मंत्रालय. (2025). “सभी के लिए शिक्षा”. लोकसभा में प्रस्तुत लिखित उत्तर का विवरण. नई दिल्ली: पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 24 मार्च.
7. शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. (2025). “शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस: प्रतिवेदन 2024–25, विद्यमान संरचना”. नई दिल्ली: भारत सरकार, पृष्ठ 7, 108 एवं 121–122.
8. नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. (2020). “ऐन इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम”. नई दिल्ली: एनसीएईआर, अगस्त।

© Copyright @ Authors

9. मुखोपाध्याय, जे. पी., मित्रा, एस., जावडेकर, एस. एवं मिश्रा, एन. (2024). "डज़ जेंडर-बेस्ड अवेयरनेस कैम्पेन इम्प्रूव गर्ल्स' एजुकेशनल एंड लर्निंग आउटकम्स? एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडिया". द जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, 60(11), 1774–1792।

10. अडुकिया, ए. (2017). "सैनिटेशन एंड एजुकेशन". अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: अप्लाइड इकोनॉमिक्स, 9(2), 23–59।

11. मुरलीधरन, के. एवं शेठ, के. (2016). "ब्रिजिंग एजुकेशन जेंडर गैप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़: द रोल ऑफ फीमेल टीचर्स". जर्नल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, 51(2), 269–297।

12. साकी, एस., हैबरलैंड, एन., मेंश, बी., वॉयचिन्स्की, एल. एवं चुआंग, ई. (2022). "पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन्स टू रिमूव जेंडर-रिलेटेड बैरियर्स टू गर्ल्स' स्कूल पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग इन लो- एंड मिडिल-इनकम कंट्रीज़: अ सिस्टेमैटिक रिव्यू ऑफ द एविडेंस". कैंपबेल सिस्टेमैटिक रिव्यूज़, 18(1), e1207।

13. राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश. "जनपदवार विद्यालय मानचित्र: यू-डायस 2023–24 के आँकड़े". लखनऊ: उत्तर प्रदेश एजुकेशन फॉर ऑल परियोजना बोर्ड.

14. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2020). "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ". लोकसभा अतारांकित प्रश्न 4592, उत्तर दिनांक 20 मार्च, अनुलग्नक 4, पृष्ठ 5. नई दिल्ली: भारत सरकार.

15. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2022). "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: संचालन पुस्तिका". नई दिल्ली: भारत सरकार, अनुलग्नक 5, पृष्ठ 31, 40, 42 एवं 49.

16. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2024). "योजनाओं का क्रियान्वयन". लोकसभा अतारांकित प्रश्न 1306, उत्तर दिनांक 9 फरवरी, अनुलग्नक का खंड 2, पृष्ठ 29 एवं 37–38. नई दिल्ली: भारत सरकार.

17. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. (2022). "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना". राज्यसभा अतारांकित प्रश्न 1268, उत्तर दिनांक 27 जुलाई, पृष्ठ 2–3. नई दिल्ली: भारत सरकार.

© Copyright @ Authors